न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या:-02/2024
प्रकरण दायर दिनांक:- 24.06.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक: 27.11.2024

उनवान

1. दुर्गेश कुमार मिश्रा पुत्र अशरफी 2. संजय कुमार मिश्रा पुत्र अशरफी 3. कांता देवी पत्नी अशरफी	जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुनगाडी तह. बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पामाडी पंचायत समिति बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

<u>अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 15 दिनांक: 18.06.1990 वाके ग्राम सुनगाडी तहसील बॉदीकुई</u>

::निर्णय::

अपीलान्ट्स द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तकरण पेश किया कि अपीलान्टगण ग्राम सुनगाडी गॉव के मूल निवासी है। सुनगाडी गॉव में ही अपीलान्टगण की पैतृक सम्पत्ति स्थित है। अपीलान्ट सं. 1, 2 के पिता एवं अपीलान्ट सं. 3 के पति अशरफी पुत्र हरसहाय की मृत्यु उसके पिता हरसहाय के जीवन काल में ही हो गयी थी। हरसहाय की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत पामाडी द्वारा खोला गया, उसी समय अशरफी के स्थान पर अपीलान्टगण के नाम उक्त नामान्तकरण में दर्ज किये गये थे। नामान्तकरण सं. 15 दिनांक: 18.06.1990 वाके गॉव सुनगाडी स्वीकृत करते समय अपीलान्टगण के आम बोलचाल की भाषा में घर पर बोले जाने वाले नाम ही दर्ज कर दिये गये। अपीलान्ट दुर्गेश कुमार मिश्रा का घर का नाम छगन है तथा अपीलान्ट संजय कुमार मिश्रा का नाम पप्पू है तथा अपीलान्ट कांता देवी का नाम कलावती है। रेस्पोडेन्ट ने नामान्तकरण सं. 15 में अपीलान्टगण के वास्तविक नाम दर्ज नहीं करके कानूनी भूल की है। इस कारण नामान्तकरण सं. 15 वाके ग्राम सुनगाडी निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत पामाडी ने भी अपीलान्टगण के वास्तविक नामों के सम्बन्ध में ग्राम सभा बैठक दिनांक: 07.06.2024 को प्रस्ताव सं. 03 में प्रस्ताव लिया हुआ है। जिसमें ग्राम पंचायत ने यह प्रमाणित किया है कि ग्राम सभा बैठक दिनांक: 07.06.2024 के प्रस्ताव सं. 03 में खाता सं. 06 के आराजी खसरा नं. 212, 213 में दर्ज नाम छगन, पप्पू एवं कलावती दर्ज है जबकि इनका वास्तविक नाम छगन की बजाय दुर्गेश कुमार मिश्रा पुत्र अशरफी, पप्पू के बजाय संजय कुमार मिश्रा पुत्र अशरफी एवं कलावती की बजाय कांता देवी पत्नि अशरफी है का शुद्धिकरण प्रस्ताव में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। जिसकी प्रति पेश है। अपीलान्टगण के समस्त दस्तावेजों में भी अपीलान्टगण का सही नाम ही दर्ज है

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं. 15 दिनांकः 18.06.1990 वाके ग्राम सुनगाडी निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण के सही नामों को दर्ज कर पुनः विधिवत सुनवाई के लिए प्रकरण तहसीलदार बॉदीकुई को रिमाण्ड किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट जर्ये नोटिस विधिवत की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषिराज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 15 दिनांकः 18.06.1990 विरासत से पप्पू, छगन एवं कलावती के नाम दर्ज होना प्रकट है। सरपंच ग्राम पंचायत पामाडी के प्रमाण पत्र में अपीलान्टगण का नाम छगन की बजाय दुर्गेश कुमार मिश्रा, पप्पू के बजाय संजय कुमार मिश्राएवं कलावती की बजाय कांता देवी पत्नि अशरफी है का शुद्धिकरण प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन से नामान्तकरण सं. 15 दिनांकः 18.06.1990 में अपीलान्टगण का नाम गलत दर्ज होना प्रतीत होता है। नामान्तकरण में यह त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपीलान्ट्स अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 15 दिनांकः 18.06.1990 वाके ग्राम सुनगाडी तह. बॉदीकुई स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 15 दिनांकः 18.06.1990 वाके ग्राम सुनगाडी तह. बॉदीकुई को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बॉदीकुई को नामान्तकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि नामान्तकरण की जॉच कर पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण फैसल करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

27/11/24

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

APP
Crll

-2000-10 लाख फा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर .... मुकाम .... बांदीकुई

दुर्गेश कुमार बनाम सरपंच ग्रा.पं. पामाडी

मा .... नं० .... सन् 02/2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तकरण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 27.11.24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	